

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ... राप्ती .....

—: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राप्ती व भूअ.नि. सरदारगार की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राप्ती तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमावन्दी सम्वत् 2070-73 में खाता संख्या 241 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जातें हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>राप्ती</u>	<u>241</u>	<u>पन्ना पिठ केला चमार</u>	<u>पन्ना पिठ केला बरवा</u>
2.	<u>-</u>	<u>496</u>	<u>हरदेव पन्ना गेपी पि. केला सखू पुष्प केला चमार</u>	<u>हरदेव पन्ना गेपी पि. केला सखू पुष्प केला बरवा</u>

(रतनलाल रेगार)  
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट  
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- 683/17

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।
2. प्रार्थी श्री पन्ना पिठ केला चमार को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

(रतनलाल रेगार)  
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट  
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा

दिनांक :- 5/7/17